निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 264) पटना, सोमवार, 4 अप्रील 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 अप्रील 2016

सं० एल0जी0-01-02/2016/60-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 5, 2016]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत–गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम–11, 2007) या कैन्टोनमेन्ट अधिनियम, 1924 (अधिनियम–II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम–6, 2006 की धारा–136 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2006 की धारा–136 की उप–धारा (1) के खण्ड–(ञ) के बाद खण्ड–(ट) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

3. निरसन और व्यावृत्ति।– (1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या–2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

---

4 अप्रील 2016

सं0 एल0जी0-01-02/2016/61-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 1 अप्रील 2016 को अनुमत **बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 5, 2016]

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2016

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (BIHAR ACT 6, 2006)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.***—(1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act No. 11 of 2007) or Cantonment Act, 1924 (Act II of 1924) apply.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment in Section 136 of the Bihar Act 6, 2006.***—The Clause (k) after Clause (j) of Sub-Section (1) of Section 136 of the said Act 2006, is hereby deleted.

3. ***Repeal and Savings.***—(1) Bihar Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2016 (Bihar Ordinance No. 2, 2016) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in excercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was come into force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to the Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 264-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in